राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक एफ 1ए–24( )/स्था/2021/15220 दिनांक– 9 फरवरी, 2021

परिपत्र

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग राज. जयपुर ने उनके परिपत्र क्रमांक/प.3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 06.12.2019, 26.06.2020 एवं 23.10.2020 द्वारा मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिको द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किया जाता है कि –:

1. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे कार्मिक जिन्होने अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। ऐसे कार्मिकों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किये गये थे। कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण कार्मिकों को टंकण परीक्षा की तैयारियों में पर्याप्त समय नहीं मिलने एवं समय पर आवेदन नहीं करने के कारण उक्त दोनों विशेष परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे/लाभ प्राप्त नहीं कर सके कार्मिकों को एक और अवसर दिया गया है।
2. दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु टंकण गति अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक होने पर कार्मिक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण माना जायेगा।
3. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 या इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों संबंध में वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यवाही ही प्रचलन में रहेगी (टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अंग्रेजी में 28 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 24 शब्द प्रति मिनट रहेगी)।

जिलें के समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिक जिन्होने अब तक टंकण परीक्षा उतीर्ण नहीं की है टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पाबन्द करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम 500/– रूपये की डी.डी. बनवाते हुए आवेदन इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। आवेदन का प्रारूप **www.bhilwara.rajasthan.gov.in** वेबसाईट पर उपलब्ध है। **दिनांक 20.02.2021** के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग राज. जयपुर के पत्रांक/प.3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 23.10.2020 के क्रम में।
2. जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा।
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाडा।
5. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोधोगिकी एवं संचार विभाग भीलवाडा को टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप भेजकर लेख है कि उक्त प्रारूप विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जिला भीलवाडा।
7. समस्त तहसीलदार जिला भीलवाडा।
8. रक्षित पत्रावली

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

C:\Users\shree\Desktop\Typing Feb 2021\Latter.docx